

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:-

चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

श्री दीपक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।
श्रम संसाधन विभाग।

पटना, दिनांक 20/11/17

विषय:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) योजनान्तर्गत BSDM द्वारा पंजीकृत कौशल विकास केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के सुचारु रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु BSDM द्वारा कार्रवाई किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के सुचारु रूप से क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्न बिंदुओं पर BSDM द्वारा कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है:-

(i) प्रशिक्षकों (Trainers) के Biometric Attendance के संबंध में :- BSDM पोर्टल पर प्रशिक्षणार्थियों का Biometric उपस्थिति ली जाती है। परन्तु प्रशिक्षकों (Trainers) द्वारा BSDM पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करने का प्रावधान नहीं है। अतः अनुरोध है कि प्रशिक्षणार्थियों की तरह प्रशिक्षकों (Trainers) की भी Biometric उपस्थिति का प्रावधान किया जाय।

(ii) Recognition of Prior Learning (RPL) :- Domain Skilling के fresh entrants के साथ RPL के माध्यम से भी कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस संबंध में पूर्व में भी पत्र के माध्यम से Guidelines एवं केन्द्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। DAY-NULM के वर्षवार निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु इसकी आवश्यकता है। अतः वर्णित बिंदु पर भी कार्रवाई की जाय।

(iii) कोर्सों के पाठ्य-सामग्री के संबंध में :- BSDM portal पर विभिन्न कोर्स के Course Curriculam उपलब्ध है। परन्तु संबंधित कोर्स का पाठ्य-सामग्री न तो प्रकाशक के पास उपलब्ध है और न तो Sector Skill Council के पास। पाठ्य-सामग्री की अनुपलब्धता की स्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स समझाने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः विभिन्न कोर्स का पाठ्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाय।

(iv) Reporting Format के संबंध में :- SDC द्वारा कराये जा रहे प्रशिक्षण कार्य के अनुश्रवण हेतु BSDM portal पर Reporting Format उपलब्ध कराया जाय।

(v) प्रशिक्षणार्थियों के Assessment and Certification (प्रमाणीकरण) के संबंध में :- कौशल प्रशिक्षण के जो बैच 1 जुलाई, 15 जुलाई को प्रारंभ किया गया था। उनका प्रशिक्षण नवम्बर माह में पूर्ण हो रहा है। अतः उक्त बैच के Assessment and Certification (प्रमाणीकरण) हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाय ताकि समय से Assessment का कार्य पूर्ण किया जा सके।

(vi) Grievance-Redressal के संबंध में :- SDC के समस्याओं के निराकरण हेतु BSDM पोर्टल पर SDC के लिए भी Ticket Generation की व्यवस्था करायी जाए।

(vii) सुरक्षा जमा राशि के संबंध में :- BSDM द्वारा निर्गत दिशा निर्देश तथा Cost Norms के अनुसार लामुकों से ली गई सुरक्षा जमा राशि SDCs के माध्यम से BSDM को जमा करना है, जो पुनः सफल प्रशिक्षणार्थियों को BSDM द्वारा वापस किया जाना है। अतः प्रशिक्षणार्थियों द्वारा SDC के पास जमा किये गये सुरक्षा राशि को BSDM को वापस करने की व्यवस्था की जाय।

(viii) Certified प्रशिक्षकों की सूची BSDM पोर्टल पर उपलब्धता के संबंध में :- उल्लेखनीय है कि प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण का कार्य Certified Trainers की उपलब्धता पर निर्भर है। BSDM पोर्टल पर उपलब्ध केन्द्रों की विरुद्ध प्रशिक्षकों का नाम उपलब्ध है परन्तु उनका ToT Certified होने की सत्यता के संबंध में नगर निकायों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि कोर्स एवं केन्द्र अनुसार Certified Trainers की सूची BSDM पोर्टल पर Display कराया जाय, ताकि नगर निकायों द्वारा प्रमाण पत्र की सत्यता की जाँच करने में आसानी हो, साथ ही किसी भी जालसाजी से बचा जा सके।

(ix) प्रशिक्षणार्थियों के नियोजन के सुनिश्चितता के संबंध में :- Placement Agency की सूची BSDM पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाय ताकि विभिन्न कोर्स में प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षणार्थियों को नियोजित कराने में सुविधा हो सके।

(X) GAP के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण के क्रियान्वयन के संबंध में :- नगर निकायों के माध्यम से लामुकों का चयन कर लामुकों की विवरणी BSDM के पोर्टल पर अपलोड करने का प्रावधान कराया जाए ताकि दो नगर निकायों द्वारा एक बैच का निर्माण कर प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

अतः अनुरोध है कि वर्णित बिंदुओं पर BSDM द्वारा कार्रवाई किया जाय ताकि कौशल प्रशिक्षण कार्य सुचारु रूप से कराया जा सके।

विश्वजीत राजन

17/11/2017

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग।